जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
180/2015
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 180/2015 अनवानी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री मुखासिंह निवासी गावं 8 बी जी डी ए पोस्ट 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर व नायब तहसीलदार जैतसर

19–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री इन्द्र सिंह के अभिभाषक श्री शिवनारायण बिश्नोई उपस्थित है। उनको सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी ने द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अलग–2 आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2015 के द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर व नायब तहसीलदार जैतसर से सूचनांए चाही थी जो उनके द्वारा आदिनांक तक उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री इन्द्रसिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अलग–अलग 2 आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2015 के द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर व नायब तहसीलदार जैतसर, जिला श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. चक 8 बी जी डी (ए) पत्थर नम्बर 154/386, 154/387, 154/391 व 153/389 में कौन–कौन से किला में कितनी–कितनी भूमि किस वर्ष में जोहड़ पायतान दर्ज की गयी?
2. सूची नम्बर 8 चक 8 बी जी डी (ए) पत्थर नम्बर 154/386, 154/387, 154/391 व 153/389 चार मुरब्बों के खसरा गिरदावरी की नकल।
3. चक 8 बी जी डी (ए) पत्थर नम्बर 154/386 के 17 बीघा की मूल पत्रावली की नकल।
4. चक 8 बी जी डी (ए) की आबादी भूमि व खेती की भूमि के नक्शा की नकल।

इस पूरे रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा तहसीलदार विजयनगर व नायब तहसीलदार जैतसर द्वारा सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे दिलवाई जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। तहसीलदार विजयनगर व नायब तहसीलदार विजयनगर द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचनांए उपलब्ध करवाई गई है या नही? ऐसा कोई लोक सूचना अधिकारी का प्रतिवेदन पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, श्रीविजयनगर व नायब तहसीलदार जैतसर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए नियमानुसार उसे उपलब्ध करवाई जावे। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का निर्धारित समय सीमा में ही निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार श्री विजयनगर व नायब तहसीलदार जैतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

33-35
4-1-17

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर